कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 840 / FP/UK/ROAD/34380/2018 :देहरादून:दिनांकः 24 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 वन भूमि पर का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020।

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 480/12–1 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1.	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि प्राप्त की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.170 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम डिरनाड, तहसील–त्यूनी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जाएगा। (ख) के अनुसार गैर वानिकी वनभूमि को राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। guideline para 2-4 (प) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाएगा। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 के पत्र सं0 1879/X-3-21/14(02)/2021 दिनांकः 27 दिसम्बर, 2021 में जारी अधिसूचना के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 6.17 है0 को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है। वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार वृक्षारोपण नही किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
4.	क्षतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक नवीनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 20,80,425.00 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एडहॉक कैम्पा के खाते में जमा करा दी गई है। चालान व प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।

5.	1. शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 –एफसी.सी. (Pt.2) दि0 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दि0 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दि0 05. 02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.0835 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार एन0पी0वी0 हेतु धनराशि रू0 21,55,367.00 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एडहॉक कैम्पा के खाते में जमा करा दी गई है। चालान व प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा जिसका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	बिन्दु सं0–ख के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित शपथ–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 140 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
7.	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जाना है।
8.	परियोजना के तहत धन केवल ई–पोर्टल (Https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो के रख–रखाव तथा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 42,35,792.00 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एडहॉक कैम्पा के खाते में जमा करा दी गई है।
9.	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
12.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ.सी./आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसा यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की वनभूमि के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता

		एजेन्सी को शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधंन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
26	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (Https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करे।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या– 840 / FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 480/12–1 दिनांक 14.09.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

o/c